RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक २१] **मंगळवार, जुलै ११, २०१७/आषाढ २०, शके १९३९** **[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक ३१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

ग्राम विकास विभाग तथा जल संरक्षण विभाग
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट,
मुंबई ४०० ००१, दिनांकित १ जुलाई २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XI OF 2017.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY MEMBERS DISQUALIFICATION ACT, 1986.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११ सन् २०१७।

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है, कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयजनों के लिये, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १९८७ का महा. २०।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निर्रहता (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९८७ का महा. २० की धारा ७ में संशोधन।

२. (क) महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निर्रहता अधिनियम, १९८६ की धारा ७, उसकी उप-धारा (१) के रुप में पुनःक्रमांकित की जायेगी, और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) में, "(दो) किसी अन्य पार्षद के मामले में या कोष्टकों, अक्षरों और शब्दों से प्रारंभ होने वाले और कलक्टर का निर्णय अंतिम होगा" शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९८७ का महा. २०।

"(दो) किसी अन्य पार्षद या सदस्य के मामले में, कलक्टर को उसके विनिर्णय के लिये निर्देशित किया जायेगा; " ;

(ख) इस प्रकार पुनःक्रमांकित की गई उप-धारा (१) के पश्चात, निम्न उप-धारा जोडी जायेगी,—

"(२) आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर का निर्णय, तुरंत ही, सभी संबंधितों को संसूचित किया जायेगा।

(३) आयुक्त या कलक्टर के निर्णय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा । " ।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ (सन् १९८७ का २०), स्थानीय प्राधिकरणों में से पक्षत्याग रोकने के लिये अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (१), स्थानीय प्राधिकरणों के पार्षद या सदस्य बनने के लिये, निरर्हता के लिये, पक्षत्याग करने के आधारों (मूल कारणों) का उपबंध करती है। धारा ३क की उप-धारा (१) यह उपबंध करती है कि, यदि, किसी राजनीतिक पक्ष या **आघाडी** या फ्रन्ट से जुडा हुआ पार्षद या सदस्य, धारा (३) की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन निरर्ह होता हैं, तो वह उसकी निरर्हता के दिनांक से छह वर्षों के लिये, पार्षद या सदस्य बनने के लिये निरर्ह होगा।

२. उक्त अधिनियम की धारा ७ यह उपबंध करती है कि, नगर निगम के पार्षद के मामले में आयुक्त और किन्हीं अन्य पार्षद या सदस्य के मामले में, कलक्टर का ऐसी निर्रहता से संबंधित निर्णय अंतिम होगा।

ऐसे निर्णय के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने के लिये, अवसर देने के लिये उपबंध करना विचाराधीन हैं। इसलिये, यह उपबंध करना इष्टकर समझा गया है कि, आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर के निर्णय द्वारा व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से, तीस दिनों की अवधि के भीतर, राज्य सरकार को, अपील प्रस्तुत कर सकेगा। तद्नुसार, इस प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की धारा ७ में, संशोधन करना प्रस्तावित है।

३. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निर्रहता अधिनियम, १९८६ (सन १९८७ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हैं अतः, यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

चे. विद्यासागर राव,

मुंबई, महाराष्ट्र के राज्यपाल।

दिनांकित ३० जून २०१७। महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से।

असीम गुप्ता,

सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.